महिलाओं पर शीघ्र विवाह के प्रभाव पर एक्सआईएसएस में चर्चा

रांची . एक्सआईएसएस रांची ने सेंटर फॉर कैटालिसिंग चेंज (सी3)-सक्षमा के सहयोग से पूर्वी भारत में महिलाओं के जीवन विकल्पों और प्रारंभिक विवाह के प्रभाव पर वेबिनार का आयोजन किया गया। एक्सआईएसएस रांची के डीन डॉ. अमर एरोन तिग्गा ने महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की कैबिनेट की मंजूरी की प्रशंसा की। वरिष्ठ सलाहकार-सी3 मधु जोशी ने कहा कि बाल विवाह या कम उम्र में विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। असंगबा चुबा, डॉ. शिरीन

Dainik Baskar

कम उम्र में शादी महिलाओं की प्रोफेशनल लाइफ में बनती है बाधा : डॉ अमर तिग्गा

वरीय संवाददाता, रांची

एक्सआइएसएस व सेंटर फॉर कैटालिसिंग चेंज (सी-3) सक्षमा की ओर से शुक्रवार को वेबिनार का आयोजन हुआ. इसमें 'पूर्वी भारत में महिलाओं के जीवन विकल्पों व प्रारंभिक विवाह के प्रभाव' विषय पर चर्चा हुई. एक्सआइएसएस के डीन डॉ अमर तिग्गा ने कहा कि महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 वर्ष किया जाना प्रशंसनीय है. आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत परिवार भी अपनी प्रतिष्ठा की खातिर जल्दी शादी करने का दबाव बनाते हैं. शादी की कम उम्र महिलाओं की प्रोफेशनल लाइफ में बाधा बनती है. शादी के चक्कर में बेहतर नौकरी छोड़नी पड़ती है. कॉलेज की कई छात्राओं को अपना अच्छा करियर त्यागना पड़ता है. वक्ता मधु जोशी ने कहा कि कम उम्र में विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है. कम उम्र में शादी होने से महिलाओं के जीवन विकल्पों पर प्रभाव पड़ता है.

डॉ अनामिका प्रियदर्शिनी और डॉ शाश्वत घोष ने पेपर प्रेजेंटेशन के जरिये वर्तमान पीढ़ी की महिलाओं पर अपने विचार रखे. उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स में महिलाओं की उपस्थिति को इसका उदाहरण बताया. वहीं आइएएस असंगबा चुबा ने कहा कि लैंगिक असमानता ने महिलाओं के पैरों को जकड़ लिया है. बिहार सरकार लैंगिक असामनता को सुधारने के लिए कई योजनाएं जैसे प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की जानकारी दी. मौके पर डॉ निवेदिता मेनन, डॉ अनंदिता सेन, डॉ पूजा समेत अन्य मौजूद थी.

Prabhat Khabar

For TV, e-paper & news visit: www.live7tv.com

11 Ranchi, Saturday
December 18, 2021

CA

Impact of Early Marriage on Young Women discussed at XISS

RANCHI: Xavier Institute of Social Service (XISS), Ranchi, in collaboration with Centre for Catalysing Change (C3)-Sakshamaa organized a webinar on 'Impact of Early Marriage on Life Choices of Young Women in Eastern India'. Dr Amar Eron Tigga, Dean (Academics), XISS, Ranchi, welcomed the eminent panelists and speakers. Dr Tigga praised the cabinet approval of raising the marriageable age for women from 18 to 21 years. He said, "Even in this era, often women belonging to both economically challenged as well as sound family are pressured to get married early and are denied freedom for choosing their career". He also expressed his views on how some girls students join companies and are compelled to leave shortly because their family members want them to get married.

Madhu Joshi, Senior Advisor -C3 delivered her keynote address to the audience. She mentioned, 'Child marriage or early marriage is the violation of human rights and it has a profound impact on the life choices of young women'. Dr Anamika Priyadarshini and Dr Saswata Ghosh presented their paper and highlighted how the present generation is challenging the patriarchal norms and male siblings are coming forward to support their sisters. They also mentioned about the mentality of secondary gatekeepers (the people in the society and frontline workers) towards women's and girls' presence over digital space.

Mr Asangba Chuba Ao , IAS, Education Department, Government of Bihar talked about the union cabinet's decision for increasing the marriageable age for women from 18 to 21 years. He was quoted saying, "Gender disparity has shackled the feet of women". He praised the measures taken by the Government of Bihar to curb the gender disparity and encourage women's education and avoid early girl marriage by providing financial and educational aid through 'Protsahan Yojana' and 'Mukhyamantri Kanya Utthan Yojna'. Dr Shireen J. Jejeebhoy, Director, Aksha Centre for Equity and Wellbeing stated that its high time when we need to focus on developing career orientation for women and voice the attitude of the men in the society. She also answered the questions put forward by the audience.

Dr Nivedita Menon from CBPS, Bangalore said, "We should focus on a larger spectrum of helping women get freedom for making life choices." The panel was also graced by deliberations from Ms Amina Mehbub, Plan International, Bangladesh and Dr Anindita Sen , University of Calcutta.

The panel discussion was moderated by Dr Yamini Atmavillas, Senior Programme Officer, Gender Equality Office, Bill and Melinda Gates Foundation. The webinar was moderated by Dr Pooja from XISS. The Vote of Thanks was proposed by Mrs Sonmani Choudhary from C3. The webinar saw huge participation from the students of Rural Management Programme and Marketing Management Programme of XISS.

Morning India

महिलाओं पर शीघ्र विवाह के प्रभाव पर एक्सआईएसएस

रांची(बिभा संवाददाता)। ज़ेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सआईएसएस), रांची, ने सेंटर फॉर कैटालिसिंग चेंज (सी3)-सक्षमा के सहयोग से पूर्वी भारत में महिलाओं के जीवन विकल्पों और प्रारंभिक विवाह के प्रभाव पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

एक्सआईएसएस, रांची के डीन, डॉ अमर एरोन तिग्गा ने प्रख्यात पैनलिस्टों और वक्ताओं का स्वागत किया। डॉ तिग्गा ने महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की कैबिनेट की मंजूरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ÷इस युग में भी, अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर और साथ ही मजबूत परिवार की महिलाओं पर भी जल्दी शादी करने का दबाव डाला जाता है और उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है÷। उन्होंने इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे कुछ छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर कंपनियों में शामिल होती हैं और जल्द ही नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए।

मधु जोशी, वरिष्ठ सलाहकार-सी3 ने अपने मुख्य भाषण में उल्लेख किया कि बाल विवाह या कम उम्र में विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसका महिलाओं के जीवन विकल्पों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डॉ अनामिका प्रियदर्शिनी और डॉ शाश्वत घोष ने अपने पेपर प्रस्तुत किये और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वर्तमान पीढ़ी पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दे रही है और पुरुष भाई अपनी बहनों का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने माध्यमिक द्वारपालों (समाज में लोग और फ्रंटलाइन वर्कर्स) डिजिटल स्पेस पर महिलाओं और लड़कियों की उपस्थिति पर सामाजिक मानसिकता का भी जिक्र किया।

श्री असंगबा चुबा एओ, आईएएस, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में बात की। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, ÷लैंगिक असमानता ने महिलाओं के पैरों को जकड़ लिया है÷। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा लैंगिक असमानता को रोकने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और %प्रोत्साहन योजना% और %मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना% के माध्यम से वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान करके बालिका विवाह से बचने के लिए किए गए उपायों की प्रशंसा की।

Bihan Bharat

बाल विवाह या कम उम्र में विवाह मानवाधिकार का उल्लंघन : मधु

एक्सआईएसएस में हुआ कार्यक्रम

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सआईएसएस) रांची में सेंटर फॉर कैटालाइसिंग चेंज (सी-3) सक्षमा के सहयोग से गुरुवार को इंपैक्ट ऑफ अर्ली मैरेज ऑन यगं वीमेंस इन इस्टर्न इंडिया (पूर्वी भारत में महिलाओं के जीवन विकल्पों और प्रारंभिक विवाह के प्रभाव) विषयक वेबिनार का आयोजन किया।

एक्सआईएसएस रांची के डीन (एकेडमिक) डॉ अमर एरोन तिग्गा ने प्रख्यात पैनलिस्टों और वक्ताओं का स्वागत किया। डॉ तिग्गा ने महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की कैबिनेट की मंजूरी की प्रशंसा की। कहा कि इस युग में भी अमूमन आर्थिक रूप से कमजोर और साथ ही मजबूत परिवार की महिलाओं पर भी जल्दी शादी करने का दबाव डाला जाता है। उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। मधु जोशी ने कहा कि बाल विवाह या कम उम्र में विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसका महिलाओं के जीवन विकल्पों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डॉ अनामिका प्रियदर्शिनी और डॉ शाश्वत घोष ने प्रकाश डाला कि पुरुष भाई अपनी बहनों का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। असंगबा चुबा एओ ने महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पर चर्चा करते हुए कहा कि लैंगिक असमानता ने महिलाओं के पैरों को जकड़ लिया है। डॉ शिरीन ने कहा कि यह सही समय है जब हमें महिलाओं के लिए कॅरियर ओरिएंटेशन विकसित करने की आवश्यकता है। डॉ निवेदिता मेनन ने कहा कि हमें महिलाओं को जीवन के विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के एक बड़े स्पेक्ट्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पैनल में अमीना महबूब, बांग्लादेश और कोलकाता विश्वविद्यालय की डॉ अनिंदिता सेन भी शामिल थी। पैनल चर्चा का संचालन डॉ यामिनी आत्मविलास, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, लैंगिक समानता कार्यालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किया। वेबिनार का संचालन एक्सआईएसएस की डॉ पूजा ने किया। सोनमनी चौधरी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव किया गया। वेबिनार में एक्सआईएसएस के ग्रामीण प्रबंधन और विपणन प्रबंधन कार्यक्रम के छात्रों की भागीदारी रही।

Khabar Mantra

महिलाओं पर शीघ्र विवाह के प्रभाव पर एक्सआईएसएस रांची में की गयी चर्चा

विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की कैबिनेट की दी मंजूरी

नवीन मेल संवाददाता

रांची। जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सआईएसएस), रांची, ने सेंटर फॉर कैटालिसिंग चेंज (सी3)-सक्षमा के सहयोग से 'पूर्वी भारत में महिलाओं के जीवन विकल्पों और प्रारंभिक विवाह के प्रभाव' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। एक्सआईएसएस, रांची के डीन, डॉ अमर एरोन तिग्गा ने प्रख्यात पैनलिस्टों और वक्ताओं का स्वागत किया। डॉ तिग्गा ने महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की कैबिनेट की मंजूरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इस युग में भी, अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर और साथ ही मजबूत परिवार की महिलाओं पर भी जल्दी शादी करने का दबाव डाला जाता है और उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है१। उन्होंने इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे कुछ छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर कंपनियों में शामिल होती हैं और जल्द ही नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। मधु जोशी, वरिष्ठ सलाहकार-सी3 ने अपने मुख्य भाषण में उल्लेख किया कि बाल विवाह या कम उम्र में विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसका महिलाओं के जीवन विकल्पों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डॉ अनामिका प्रियदर्शिनी और डॉ शाश्वत घोष ने अपने पेपर प्रस्तुत किये और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वर्तमान पीढ़ी पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दे रही है और पुरुष भाई अपनी बहनों का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने माध्यमिक द्वारपालों (समाज में लोग और फ्रंटलाइन वर्कर्स) डिजिटल स्पेस पर महिलाओं और लड़कियों की उपस्थिति पर सामाजिक मानसिकता का भी जिक्र किया।

Rashtriya Naveen Mail